न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद जिला – प्रतापगढ

निर्णय बइजलास – श्री विमलेन्द्र राणावत (R. A.S) पीठासीन अधिकारी

प्रकरण संख्या :–09/20 दायर दिनांक :–18.03.2023

अनवान

श्री बालुराम पिता रामलाल जाति मीणा निवासी दलोट तहसील दलोट जिला प्रतापगढ राज0– प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार अरनोद – विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :– निर्णय दिनांक :– 12.04.24

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम मोजा भचुण्डला प.ह. भचुण्डला मे सयुक्त खाता सं 247 मे आराजी नम्बर 32 रकबा 1.37 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.37 है0 हो प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज काश्त हो कर कृषि काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत से इन्तकाल से दर्ज रिकार्ड हुआ । सहवन से राजस्व रिकार्ड मे नाम बचपन का बोलता नाम डालु दर्ज रिकार्ड हो गया है। प्रार्थी का अन्य सरकारी रिकार्ड राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड इत्यादि मे बालुराम ही दर्ज है। प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड मे डालु होने से सरकारी गेर सरकारी योजनाओ मे बैक आदि से लॉन लेने मे काफी परेशानीयो का सामना करना पडता है। अतः प्रकरण न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का होने से निवेदन हैकि प्रार्थी का नाम मोजा भचुण्डला के राजस्व रिकार्ड मे डालु की जगह बालुराम पिता रामलाल जाति मीणा करवा राजस्व रिकार्ड मे अमल करवाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जा कर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया । विपक्षी की और से जवाब पेश किया गया । पत्रावली बहस मे नियत की गई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थना पत्र व जवाब के अध्ययन से जाहिर है कि अप्रार्थी तहसीलदार अरनोद/दलोट की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम डालु की जगह बालुराम दर्ज करने की सहमति/अनुषंशा की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया एवं बहस पर ममन किया। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तत्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी का नाम सहवन से डालु राजस्व रिकार्ड मे अमल हो गया हैं जबकि सही नाम बालुराम है राजस्व रिकार्ड व सरकारी दस्तावेजो मे नाम की भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को बैक इत्यादि मे लॉन लेने मे समस्याओ का सामना करना पड रहा हैं अतः न्यायालय मे दरख्वास्त है कि प्रार्थी का नाम डालु के बजाये बालुराम पिता रामलाल जाति मीणा करने का आदेश फरमावे।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। एवं मोजा भचूण्डला प0ह0 भचूण्डला के खाता सख्या 247 मे प्रार्थी का नाम डालु पिता रामा मीणा की जगह बालुराम पिता रामलाल जाति मीणा करने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार दलोट को निर्देशित किया जाता हैकि राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा को पेश करे। पत्रावली फैशल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.24 को खुले न्यायालय मे लिखा जा कर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद

Scanned with OKEN Scanner